

कार्यालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 1097/6-207 (2018-19), दिनांक: 08 जून, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या-01, 2018) के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक:-31.05.2018 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं शासनादेश संख्या:-140/30(2)/18/30(13)/2018, दिनांक:-25 मई, 2018 के अनुक्रम में निम्नानुसार कार्मिक का एतद्वारा स्थानान्तरण किया जाता है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती जनपद	अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया
01	श्री जयसिंह पाल	सहायक भूलेख अधिकारी	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	धारा 6 (ग)

स्थानान्तरण अधिनियम में प्रावधानित विधियों के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करने के उपरान्त स्थानान्तरण किया गया है।

निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण के फलस्वरूप इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

स्थानान्तरित कार्मिक को संबंधित जिलाधिकारी नवीन तैनाती जनपद हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं स्थानान्तरित कार्मिक अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत एक सप्ताह अंदर नवीन तैनाती जनपद में योगदान करना सुनिश्चित करेगा।

दिनांक: 08-06-2018।

ह0/-
(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष।

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून को मा0 अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
- श्री जयसिंह पाल, सहायक भूलेख अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्।
08.06.2018